

राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)  
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / 2 / 2018

दायर दि० 7/5/2018  
फैसल दि० 7/5/2018

श्री लक्ष्मण शायर

अनवान  
बनाम

भूमिधारी लक्ष्मीलाल  
सागवाडा

(वादी)

(प्रतिवादी)

वादी श्री लक्ष्मण शायर ने वाद प्रस्तुत कर  
मोजा डेमी के खाता नम्बर 12 जमाबन्दी सं० 2071-2074  
में अंकित स्वयं/पिता का नाम लक्ष्मण शायर  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम  
लक्ष्मण शायर है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम लक्ष्मण शायर  
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।  
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम लक्ष्मण शायर शायर  
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया  
जाता है कि मोजा डेमी की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के  
खाता संख्या 12 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम  
लक्ष्मण शायर में संशोधन कर सही नाम  
लक्ष्मण शायर दर्ज रेकार्ड किया जावे ।  
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा